

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-1) विभाग


क्रमांक : प.9(8) कार्मिक/ क-1/2014

जयपुर, दिनांक: 05-09-2019

आज्ञा

श्री विनोद कुमार भारवाणी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला अजमेर का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग सह विधि परामर्शी, राजस्थान, जयपुर के पद पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ सम्भागीय आयुक्त।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. अनुरांधान अधिकारी, (केरियर मैनेजमेंट), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, गॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. समस्त कंट्रोलिंग अधिकारी।
8. समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. सिरटम एगालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11. रक्षित पत्रावली/ निजी पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
2. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव